भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1918

उत्तर देने की तारीख : 31.07.2025

निर्यात सुविधा केंद्रों के माध्यम से एमएसएमई को सहायता

1918. **श्री केसिनेनी शिवनाथ:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्थापित निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ईएफसी के माध्यम से समर्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है और उन्हें किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है;

(ग) निर्यात सुविधा केंद्रों की शुरुआत से लेकर अब तक उनकी स्थापना और संचालन करने के लिए आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग में लाई गई कुल निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) एमएसएमई के लिए ईएफसी द्वारा प्रारंभ से अब तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की लिंगवार और राज्यवार सूची क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे केंद्रों के अंतर्गत समर्थित एमएसएमई के लिए निर्यात प्रदर्शन या बाजार सुलभता में सुधार की जानकारी रखी है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई को उनके उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं। ईएफसी की राज्यवार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) : निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक सहायता प्रदान करके एमएसएमई निर्यातकों का समर्थन करते हैं। इनमें निर्यात संबंधी योजनाओं और लाभों की जानकारी का प्रसार, निर्यात अनुपालन पर प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ, निर्यात दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रियाओं में सहायता, एमएसएमई की सुविधा के लिए उद्योग संघों, राज्य सरकारों और डीजीएफटी के साथ सहयोग शामिल हैं।

निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) द्वारा समर्थित एमएसएमई की कुल संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग) : निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) की स्थापना के लिए कोई अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गई है क्योंकि ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित किए जाते हैं।

(घ) : निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला/कार्यक्रमों की कुल संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

(ङ) : हालांकि वर्तमान में निर्यात निष्पादन पर विशिष्ट डाटा नहीं रखा जाता है, निर्यात सुविधा केंद्र एमएसएमई को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में सहायक रहे हैं, जिससे उनके निर्यात में सकारात्मक योगदान की अपेक्षा है।

******

अनुबंध I

अतारांकित प्रश्न संख्या 1918, जिसका उत्तर दिनांक 31.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) की तालिका

क्र.सं.	राज्य का नाम	ईएफसी
1	त्रिपुरा	एमएसएमई-विकास कार्यालय, अगरतला
2	उत्तर प्रदेश	शाखा एमएसएमई-विकास कार्यालय, वाराणसी
3		प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), आगरा
4		प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), मेरठ
5		कांच उद्योग विकास केन्द्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद
6		सुगंध और सुरस विकास केन्द्र (एफएफडीसी), कन्नौज
7		केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा
8		एमएसएमई-विकास कार्यालय, आगरा
9		एमएसएमई-विकास कार्यालय, कानपुर
10		एमएसएमई-विकास कार्यालय, इलाहाबाद
11	तमिलनाडु	शाखा एमएसएमई-विकास कार्यालय, कोयम्बटूर
12		केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नई
13		एमएसएमई परीक्षण केन्द्र, चेन्नई
14		एमएसएमई-विकास कार्यालय, चेन्नई
15	ओडिशा	केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी), भुवनेश्वर
16		एमएसएमई-विकास कार्यालय, कटक
17	सिक्किम	एमएसएमई-विकास कार्यालय, गंगटोक
18	गोवा	एमएसएमई-विकास कार्यालय, मडगांव
19	असम	टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (टीआरटीसी), गुवाहाटी
20		एमएसएमई-विकास कार्यालय, गुवाहाटी
21	उत्तराखंड	एमएसएमई-विकास कार्यालय, हल्द्वानी
22		इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा और प्रशिक्षण संस्थान (ईएसटीसी), रामनगर
23		एमएसएमई-विकास कार्यालय, देहरादून
24	कर्नाटक	एमएसएमई-विकास कार्यालय, हुबली
25		एमएसएमई-विकास कार्यालय, बैंग्लोर
26	मणिपुर	एमएसएमई-विकास कार्यालय, इम्फाल
27	मध्य प्रदेश	इण्डो जर्मन टूल रुम (आईजीटीआर), इंदौर
28		प्रौद्योगिकी केन्द्र, भोपाल
29		एमएसएमई-विकास कार्यालय, इंदौर
30	राजस्थान	प्रौद्योगिकी केन्द्र, भिवाड़ी
31		एमएसएमई-विकास कार्यालय, जयपुर
32	जम्मू और कश्मीर	शाखा एमएसएमई-विकास कार्यालय, श्रीनगर
33		एमएसएमई-विकास कार्यालय, जम्मू
34	हरियाणा	प्रौद्योगिकी केन्द्र, रोहतक
35		एमएसएमई-विकास कार्यालय, करनाल

36	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी), कोलकाता
37		एमएसएमई परीक्षण केन्द्र, कोलकाता
38		शाखा एमएसएमई-विकास कार्यालय, सिलीगुड़ी
39		एमएसएमई-विकास कार्यालय, कोलकाता
40	पंजाब	केन्द्रीय टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना
41		केन्द्रीय हैंड टूल्स संस्थान (सीआईएचटी), जालंधर
42		एमएसएमई-विकास कार्यालय, लुधियाना
43	महाराष्ट्र	इण्डो जर्मन टूल रुम (आईजीटीआर), औरंगाबाद
44		विद्युत मापन उपकरण अभिकल्प संस्थान (आईडीईएमआई), मुंबई
45		एमएसएमई परीक्षण केन्द्र, मुंबई
46		एमएसएमई-विकास कार्यालय, मुंबई
47		एमएसएमई-विकास कार्यालय, नागपुर
48	दिल्ली	एमएसएमई परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
49		एमएसएमई-विकास कार्यालय, नई दिल्ली
50	बिहार	एमएसएमई-विकास कार्यालय, पटना
51		एमएसएमई-विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर
52	छत्तीसगढ़	एमएसएमई-विकास कार्यालय, रायपुर
53	झारखण्ड	इण्डो डेनिश टूल रुम (आईडीटीआर), जमशेदपुर
54		एमएसएमई-विकास कार्यालय, रांची
55	हिमाचल प्रदेश	एमएसएमई-विकास कार्यालय, सोलन
56	केरल	एमएसएमई-विकास कार्यालय, तृश्शूर
57	गुजरात	इण्डो जर्मन टूल रुम (आईजीटीआर), अहमदाबाद
58		शाखा एमएसएमई-विकास कार्यालय, राजकोट
59		एमएसएमई-विकास कार्यालय, अहमदाबाद
60	तेलांगाना	केन्द्रीय टूल डिजाइन संस्थान (सीआईटीडी), हैदराबाद
61		एमएसएमई-विकास कार्यालय, हैदराबाद
62	नागालैण्ड	एमएसएमई-विकास कार्यालय, दीमापुर
63	आंध्र प्रदेश	एमएसएमई-विकास कार्यालय, विशाखापट्टनम
64		प्रौद्योगिकी केन्द्र, पुडी, वाईज़ैग
65	पुडुचेरी	प्रौद्योगिकी केन्द्र, पुडुचेरी

अनुबंध II

अतारांकित प्रश्न संख्या 1918, जिसका उत्तर दिनांक 31.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

निर्यात के लिए समर्थित एमएसएमई की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्यात पर समर्थित एमएसएमई की संख्या		
		2022-23	2023-24	2024-45
1.	उत्तर प्रदेश	289	205	250
2.	तमिलनाडु	48	160	210
3.	ओडिशा	148	198	160
4.	सिक्किम	118	254	120
5.	गोवा	0	80	100
6.	असम	50	50	50
7.	उत्तराखंड	0	0	30
8.	कर्नाटक	0	92	80
9.	मध्य प्रदेश	210	172	100
10.	हरियाणा	200	330	111
11.	पश्चिम बंगाल	183	185	298
12.	पंजाब	30	37	55
13.	महाराष्ट्र	47	248	202
14.	दिल्ली	10	18	28
15.	झारखंड	0	789	200
16.	हिमाचल प्रदेश	0	37	110
17.	केरल	527	1137	950
18.	गुजरात	482	219	252
19.	तेलंगाना	45	55	154
20.	आंध्र प्रदेश	0	0	50
21.	त्रिपुरा	0	70	0
22.	बिहार	478	391	120
	कुल	**2865**	**4727**	**3630**

अनुबंध III

अतारांकित प्रश्न संख्या 1918, जिसका उत्तर दिनांक 31.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्यात पर कार्यशाला/प्रशिक्षण की संख्या		
		2022-23	2023-24	2024-45
1	उत्तर प्रदेश	7	11	16
2	तमिलनाडु	8	21	24
3	ओडिशा	0	0	2
4	सिक्किम	0	0	1
5	गोवा	0	5	6
6	उत्तराखंड	0	0	1
7	मध्य प्रदेश	8	9	3
8	हरियाणा	1	0	0
9	पश्चिम बंगाल	2	7	8
10	पंजाब	95	116	69
11	महाराष्ट्र	1	3	26
12	दिल्ली	0	3	2
13	छत्तीसगढ़	1	1	2
14	झारखंड	0	0	0
15	हिमाचल प्रदेश	0	0	2
16	केरल	1	2	6
17	गुजरात	0	3	5
18	तेलंगाना	0	1	3
19	आंध्र प्रदेश	0	0	1
20	बिहार	3	4	3
कुल		127	186	180